सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

04 अगस्त, 2016

षोडश विधान सभा | 04 अगस्त, 2016 ई0
-------------- | वृहस्पतिवार, तिथि --------------
तृतीय सत्र | 13 श्रावण, 1938 (शक)

(कार्यवाही प्राारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, राजधानी पटना में कल हजारों छात्रों पर लाठी बरसाया गया....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समय पर उठाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं । कल जो लाठी चार्ज हुआ है, उसमें मांग क्या था ? माननीय मांझी जी ने जो छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया था, सरकार ने कटौती कर 15 हजार रूपया कर दिया है । सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण का प्रावधान था, उसको सरकार ने रोकने का काम किया है......

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं । आप नियमावली में प्रावधानित समय पर उठाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दल : महोदय, लोगों पर लाठी बरसाया जा रहा है, मारे जा रहे हैं लोग, पुलिस हमला कर रही है, हम सरकार से इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-13, श्री अचमित ऋषिदेव ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आकर नारेबाजी करने लगे)

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-13(श्री अचमित ऋषिदेव)

श्री(डा0)मदन मोहन झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-1: उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला गजेटियरों का प्रकाशन 1957 से किया जा रहा है, जिसमें संबंधित जिला का अद्यतन विस्तृत विवरणी उपलब्ध रहता है ।

2 : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पुराने जिलों का गजेटियर का प्रकाशन वर्ष 1957 से 1970 तक हुआ है ।

3 : उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। जिला गजेटियर का प्रकाशन के संबंध में तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूॅं कि डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित होने से राजनीति विनियामक लोगों को और योजना निर्माण में लगे अधिकारियों को उसके जिला के बारे में पूरी जानकारी मिलती थी । यहां तक कि विधान मंडल के माननीय सदस्यों को भी अपने जिला एवं अन्य जिलों के बारे में काफी मदद मिलती थी।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गजेटियर का पुन: प्रकाशन शुरू किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-346(श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

श्री राम विचार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

जिले में वर्ष 2015-16 में बायो गैस स्थापना का भौतिक सत्यापन के पश्चात् ही अनुदान राशि का भुगतान किया गया है । तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी को उक्त मामला संज्ञान में आने पर उसकी जांच गठित समिति द्वारा की गई तथा जांच में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान मेसर्स आदर्श समाज कल्याण परिषद के सचिव श्री धर्मदेव प्रसाद, ग्राम-पो0-दुबहा, प्रखंड-सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर पर सकरा थाना कांड संख्या- 88/16, दिनांक 16.03.2016 एवं भौतिक सत्यापनकर्त्ता कर्मी (1) श्री शिवर्षी ठाकुर मुकेश, कृषि समन्वयक (2) श्री अजित कुमार, कृषि समन्वयक (3) श्री कुमार सुनिल, कृषि समन्वयक (4) श्री विजयन्त कुमार, कृषि समन्वयक (5) श्री रामाशंकर शर्मा, कृषि समन्वयक पर नगर थाना कांड संख्या-411/16 दिनांक 22.06.2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है ।

खंड-2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

अनुमंडल पदाधिकारी, (पूर्वी) एवं अनुमंडल पदाधिकारी,(पश्चिमी) मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में जिला में बायो गैस की स्थापना एवं अनुदान भुगतान की जांच कर जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निम्न प्रकार से प्रतिवेदित किया गया है -

(क) अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी), मुजफ्फरपुर के जांच प्रतिवेदन में 09 (नौ) किसानों के द्वारा बायो गैस संयंत्र स्थापित कियाा गया है लेकिन माप के अनुसार नहीं है तथा बत्ती पाईप नहीं पाया गया है तथा 07 (सात) किसानों द्वारा संयंत्र स्थापित करने हेतु गड्ढ़ा खोदा गया है एवं 09(नौ) किसानों द्वारा बायो गैस स्थापना नहीं किया गया है ।

(ख) अनुमंडल पदाधिकारी(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर के द्वारा 06 (छ:) किसानों के जांच में 03 (तीन) किसानों के यहां बायो गैस संयंत्र स्थापित पाया गया, जिसमें 02 (दो) कार्यरत नहीं है तथा 01 (एक) पूर्णत: कार्यरत है । एक किसान के

यहां कार्य प्रारंभ किया गया है एवं दो किसान के यहां कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसके अनुदान राशि का भुगतान अभीतक नहीं हुआ है ।

इन इंगित अनियमितताओं के लिए अनुदान प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्था के विरूद्ध सकरा थाना कांड संख्या-88/16, दिनांक 16.03.2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा जिम्मेवार संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध नगर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी कांड संख्या-411, दिनांक 22.06.2016 दर्ज किया गया है ।

खंड-3 : उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है ।

तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है तथा उसकी समीक्षा की जा रही है । इस बीच सामान्य स्थानान्तरण में उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है ।

खंड-4 : कृषि निदेशक द्वारा संयुक्त निदेशक(शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के माध्यम से तथा जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी(पूर्वी) एवं अनुमंडल पदाधिकारी(पश्चिमी), मुजफ्फरपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में बायो गैस की जांच कराई गयी है । उक्त जांच में पाई गयी अनियमितता के लिए अनुदान प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संस्था के विरूद्ध सकरा थाना कांड संख्या-88/16, दिनांक 16.03.2016 द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा जिम्मेवार संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध नगर थाना मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी कांड संख्या-411, दिनांक 22.06.2016 दर्ज किया गया है ।

जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है तथा विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक भी बायो गैस मुजफ्फरपुर जिला में नहीं दिया गया और करोड़ों रूपया घोटाला करके निकाल लिया गया । महोदय, इसकी जांच एस0डी0ओ0 ने किया और एक हैं प्रीति वर्मा, एस0डी0ओ0, दो एस0डी0ओ0 ने किया, दोनों ने जांच किया । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कानून बना है, उसका पहला प्रयोग मुजफ्फरपुर में हुआ और क्लियर कट यह घोटाला पकड़ा गया, बावजूद इसके उस पदाधिकारी को जेल में होना चाहिए था लेकिन उन्हें प्रमोशन देकर पटना में जिला कृषि पदाधिकारी बना दिया गया है । इसलिए मैं मांग करता हूँ कि विधान सभा की समिति से इसकी जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, किसी वरीय पदाधिकारी इसकी जांच करा दी जाय ।

श्री राम विचार राय, मंत्री : महोदय, जांच करा देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जरा सुनिए । आप जरा सुनने का कष्ट करिए ।

(व्यवधान)

अभी जो बातें कही जा रही हैं वह प्रेस में नहीं जायेगी ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/शंभु/04.08.16

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 ए के तहत् बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि पहले उसपर डिस्कशन हो जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, आज प्रथम पाली में जिस समय सदन में थोड़ी देर अव्यवस्था हुई थी उसी बीच..........

(व्यवधान)

श्री जीतन राम मांझी : अव्यवस्था नहीं हुई थी । उतनी बड़ी घटना घटी है राज्य में और उसको अव्यवस्था कहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अव्यवस्था तो हुई ही थी । उस समय सरकार ने सूचना दी थी कि सरकार कल की घटना पर वक्तव्य देना चाहती है, यही मैं आपलोगों से कहना चाहता था । अगर आपलोग इजाजत देंगे तो सरकार आज वक्तव्य देने के लिए तैयार है ।

(व्यवधान)

अगर आप इजाजत दीजिए और अगर सदन उसकी जरूरत समझता है....

श्री जीतन राम मांझी : हमलोग चाहते हैं कि इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करायी जाए, कल जो लाठी चार्ज हुआ और शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो छात्रवृत्ति काट दी गयी है, उसको जोड़ दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सभापति निवेदन समिति।

श्री भाई विरेन्द्र : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211(1) के तहत षोडश बिहार विधान सभा की निवेदन समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : सभा सचिव।

सभा सचिव : श्रीमान्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार 37 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सरकार का वक्तव्य । माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग ।

सरकार का वक्तव्य

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में सरकार की तरफ से वक्तव्य दे रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग 1 से 10 में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत कुल राशि 521 करोड़ 67 लाख रूपया व्यय कर कुल 59 लाख 84 हजार 478 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। केन्द्र सरकार के द्वारा वर्ग 9 एवं 10 के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र 102 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गयी है।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्ष : सरकार की बात सुनियेगा तब न । सरकार कुछ कहना चाहती है । सरकार को तो कहने का अवसर मिलना चाहिए न । अभी सरकार की बात आपने सुनी नहीं तो कह कैसे रहे हैं ?

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्री : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र-छात्राएं जो प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, के लिए भारत सरकार के दिशा निदेश के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है । इस योजना के तहत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत वैसे छात्र-छात्राएं जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपया मात्र से कम है, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ दिया जाता है । इस योजना के तहत केन्द्र

सरकार के नियम के अनुसार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि अंतर कुल व्यय की राशि अगली पंचवर्षीय योजना से राज्य के प्रतिबद्ध देयता बन जाती है। केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध देयता की सीमा के अतिरिक्त व्यय की गयी राशि ही केन्द्रीय सहायता के रूप में विमुक्त करती है। विगत तीन वर्षों के आंकड़े को अगर देखा जाय तो वर्ष 2013-14 में कुल व्यय 130 करोड़ में से मात्र 44.62 करोड़ रूपया अर्थात् मात्र 34 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। उसी प्रकार से वर्ष 2014-15 में कुल व्यय 81.22 करोड़ में से मात्र 30 करोड़ रूपया अर्थात् मात्र 37 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। यह वर्ष 2015-16 में कुल स्वीकृत 159.44 करोड़ में से मात्र 33.44 करोड़ रूपया अर्थात् मात्र लगभग 21 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। इस प्रकार से राज्य सरकार को औसतन 70 प्रतिशत से अधिक वित्तीय भार का वहन करना पड़ रहा है तथा प्रत्येक पंचवर्षीय काल के बाद राज्य सरकार का वित्तीय भार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पूर्व में सक्षम प्राधिकार से शिक्षण शुल्क का निर्धारण नहीं कराया गया था। साथ ही समीक्षा के क्रम में छात्रवृति वितरण में अनियमितताएं भी परिलक्षित हुई थी। कई फर्जी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों की सूचना प्राप्त हुई थी । इन संस्थानों में बिचौलिये फर्जी एवं अप्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षक द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर उनके दोहन का प्रयास किया जा रहा है और छात्रवृत्ति के रूप में विभिन्न फर्जी एवं अप्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृति की राशि हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में फर्जी संस्थानों के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कतिपय शिकायतों के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निगरानी विभाग से भी जॉच कराने का निर्णय लिया गया है, वर्तमान में जॉच जारी है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यापक हित में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत सभी छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने एवं शिक्षण शुल्क को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से अधिकतम शिक्षण शुल्क की सीमा का निर्धारण किया गया है। इस हेतु अन्य राज्यों की संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा बिहार राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क की शत-प्रतिशत राशि एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम अनुसार 2000 रूपये से 15 हजार रूपये तक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षण शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। उदाहरणस्वरूप, बिहार राज्य में बी0टेक0 में अध्यनरत छात्र छात्राओं को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क मात्र 120 रूपया ही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा राज्य के गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए

अधिकतम 15000/- रूपये निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को संबंधित राज्य के राज्य सरकार द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क यथा- उत्तर प्रदेश में 40 हजार, मेघालय में 50 हजार, पंजाब में 60 हजार, हरियाणा में 30 हजार आदि के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के योग्य छात्र अपने स्वयं के बूते अथवा संविधान में प्रदत्त आरक्षण के अधिकार का सदुपयोग करते हुए आइ0आई0टी0, एन0आई0टी0, एन0आई0एफ0टी0, एम्स एवं नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में नामांकन हासिल किया है। ऐसे छात्रों को राज्य सरकार द्वारा क्रमशः अधिकतम वार्षिक 90 हजार रूपये, 70 हजार रूपये एवं 75 हजार रूपये की छात्रवृत्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमान्य अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति में भी समरूप व्यवस्था है।

क्रमशः

टर्न-3/अशोक/04.08.2016

(व्यवधान जारी)

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : क्रमशः विभिन्न स्तरों पर अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने के कारण वर्तमान में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए छात्रवृति का भुगतान जांचोपरांत किया जा रहा है । इसी क्रम में प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारियों के 87 जॉच दल गठित कर अन्य राज्यों में बिहार के अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों की जांच कराई गई है तथा अब तक 1911 शिक्षण संस्थानों की जांच का कार्य पूर्ण कराया गया है, जिसमें से अबतक 32 शिक्षण संस्थान फर्जी पाये गये हैं । विभागीय पत्रांक 4966 दिनांक 03.08.2016 के द्वारा सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को जॉच में फर्जी पाये गये शिक्षण संस्थानों पर प्राथिमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया है।

वर्ष 2014-15 में जॉचोपरान्त कुल त्रुटि रहित आवेदनों के अनुरूप लक्ष्य 78973 के विरूद्ध अबतक 76554 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जो लगभग 97 प्रतिशत है । वर्ष 2015-16 में प्राप्त 1,11,804 (एक लाख ग्यारह हजार आठ सौ चार) आवेदन पत्रों के आलोक में 18 जिलों में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला छात्रवृति समिति की बैठक सम्पन्न कर ली गई है । 13 जिलों में छात्रवृति समिति की बैठक की तिथि निर्धारित की गई है । अबतक

16756 छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान किया जा चुका है । छात्रवृति भुगतान की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण कर ली जायगी ।

राज्य सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से "स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड"(Student Credit Card) के तहत छात्रों को लाभान्वित करने की योजना की स्वीकृति दी है । इस योजना के तहत न केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वरन् सभी कोटि के बारहवीं उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्याथियों को 4 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जायगा, जिसपर राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण गारंटी दी जायगी । इस योजना का क्रियान्वयन 2 अक्टूबर से प्रारंभ करने के लिए तैयारी चल रही है ।

दिनांक 03.08.2016 को छात्रों को बरगलाकर भीड़ के रूप में इकट्ठा किया गया, जिसका मकसद हिंसा भड़काना था । सरकार को बदनाम करने के उद्येश्य से छात्रों के समूह में असमाजिक तत्वों ने सम्मलित होकर हंगामा किया ।

आज जो लोग अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हितैषी बने हैं यह वही लोग है जो देश से आरक्षण हो हटाने का लगातार बयान देते रहते हैं । मैं यह दावा करता हूँ कि वे अपने इस मकसद में कामयाबी नहीं प्राप्त कर पायेंगे । इनका कहना है कि जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मैं इनसे पूछता हूँ कि बतायें कि क्या बाबा साहेब द्वारा बनाया गया संविधान गलत है ? पीड़ित, शोषित दलितों को आगे आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए, क्या उन्हें हजारों, सैकड़ो वर्षो से मिल रही गुलामी की जंजीर से मुक्त होने का अधिकार नहीं है ? हमारी सरकार का मुख्य सिद्धांत है न्याय है साथ विकास, जिसके तहत हम सभी वर्गो को खासकर पिछड़े, कुचले एवं वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है । राज्य सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार चिन्तित है । धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग । आप अपना वक्तव्य पढ़े ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में लागू करने के संबंध में राज्य सरकार का वक्तव्य

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दी जा चुकी है ।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निदेश के अनुसार ज्यादा और कम जोखिम वाले जिलों को मिलाकर कलस्टर बनाने तथा प्रत्येक कलस्टर के जिलों के लिए जिलावार एवं फसलवार, भारत सरकार द्वारा Empanelled बीमा कंपनियों से प्रीमियम दर की निविदा आमंत्रित करने का प्रावधान है ।

3. इस प्रीमियम राशि में से कुल बीमित राशि का दो प्रतिशत अंशदान किसानों द्वारा एवं शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन की व्यवस्था है । यह प्रीमियम राज्य सरकार के स्तर से बीमा कंपनी को भुगतेय होगी तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा ।

4. उक्त आलेक में बिहार राज्य को छः कलस्टरों में बांटा गया तथा 13 बीमा कंपनियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया । दिनांक 05.07. 2016 की योजना के दिशा-निदेश के अनुरूप Bidding प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसमें छः बीमा कंपनियों द्वारा भाग लिया गया ।

उक्त Bidding के फलस्वरूपस राज्य का औसत न्यूनतम weighted premium दर 14.92% प्राप्त हुआ है ।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा-निदेश के आलोक में खरीफ 2016 में बीमित राशि 10,000 करोड़ रूपये होने की संभावना है । निविदा फलस्वरूप प्राप्त न्यूनतम weighted premium के अनुसार कुल लगभग 1500 करोड़ रूपया प्रीमियम देयता संभावित है, जिसमें 650 करोड़ रूपये की राशि केन्द्रांश एवं 650 करोड़ रूपये की राशि राज्यांश होगा । शेष 200 करोड़ रूपया किसनों द्वारा देय होगा ।

6. प्राप्त प्रीमियम दर काफी ज्यादा होने एवं तदनुसार संभावित वित्तीय भार के देखते हुए निाविदा मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक मर्गदर्शन हेतु भेजा गया था ।

7. बिहार राज्य के अन्य पड़ोसी राजयों में इस योजना अन्तर्गत प्राप्त औसत न्यूनतम weighted Average प्रीमियम दर निम्न प्रकार है :-

पश्चिम बंगाल -	3.25 प्रतिशत
उत्तरप्रदेश-	4.09 प्रतिशत
छतीसगढ़-	4.00 प्रतिशत
मध्यप्रदेश	9.55 प्रतिशत
झारखंड-	13.82 प्रतिशत

इस प्रकार बिहार राज्य के लिए बीमा कंपनियों द्वारा दी गई न्यूनतम प्रीमियम दर तुलनात्मक रूप से काफी अधिक है ।

8. उल्लेखनीय है कि एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि., जो भारत सरकार की बीमा कंपनी है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रीमियम की दर लगभग 4 प्रतिशत ही दी गई है, जिबकि उसी कंपनी द्वारा बिहार राज्य के पहले कलस्टर के लिए 18.56 प्रतिशत, दूसरे कलस्टर के लिए 11.97 प्रतिशत तीसरे कलस्टर के लिए 27.42 प्रतिशत चौथे कलस्टर के लिए 18.89 प्रशित पॉचवे कलस्टर के लिए 10.37 प्रतिशत एवं छठे कलस्टर के लिए 18.38 प्रतिशत प्रीमियम दर दिया गया है, जो अत्यधिक एवं अतार्किक है ।

9. विगत वर्षो के खरीफ मौसम में लागू फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत राज्यांश मद में अधिकतम एक खरीफ मौसम में 196.22 करोड़ रूपये वित्तीय देयता सरही है । इसी प्रकार विगत खरीफ मौसमों में किसानों को भुगतेय क्षतिपूर्ति अन्तर्गत एक खरीफ मौसम में अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि 685.06 करोड़ रूपया ही भुगतेय रही है, जबकि वर्त्तमान मौसम में कुल प्रीमियम देयता 1500 करोड़ रूपया आ रहा है । स्पष्टत: इससे बीमा कंपनियों को अधिक लाभ होना संभावित है ।

10. इन्हीं सब तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर दिनांक 16.07.2016 को सम्पन्न अन्तर्राज्य परिषद् की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के द्वारा विभिन्न राज्यों में दिये गये प्रीमियम दरों मे एकरूपता लाने हेतु कार्रवाई की जानी चाहिए एवं अपेक्षाकृत ज्यादा प्रीमियम के मद्देनजर राज्यांश तथा केन्द्रांश का अनुपात 10:90 के रूप में रखा जाना चाहिए ।

11. उक्त Bidding के फलाफल के अलोक में उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर निर्णय हेतु इस योजना की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)की दिनांक 21.07.2016 को निर्धारित बैठक में संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि को विशेष रूप से भाग लेने हेतु अनुरोध भी किया गया । क्रमश:

(व्यवधान)

टर्न-4/ज्योति/04-08-2016

क्रमश:

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : लेकिन भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हुआ । बैठक में राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त कारणों से खरीफ 2016 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करना संभव नहीं होगा ।

12. भारत सरकार के स्तर से सकारात्मक पहल नहीं होने की पृष्ठभूमि में विभागीय मंत्री द्वारा माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार को पूर्ण

वस्तुस्थिति बताते हुए अनुरोध किया गया है कि केन्द्र के स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक करने की कृपा की जाय ताकि राज्य सरकार के संदर्भों का निष्पादन हो सके ।

13. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की नीति रही है कि सुखाड़ के कारण फसल क्षति को बचाने हेतु डीजल अनुदान देकर फसल को बचाया जाय । सरकार की इस संवेदनशील पहल का अप्रत्यक्ष लाभ भी बीमा कंपनियों को मिलना स्वाभविक है ।

14. सरकार सदन को आश्वस्त करती है कि किसानों का हित सर्वोपरि है । राज्य सरकार अपने संसाधनों से ऐसे सभी कदम उठा रही है जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रह सके ।

15. उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका के गठन के क्रम में राज्य सरकारों से किए गए विचार-विमर्श के क्रम में बिहार सरकार द्वारा जनवरी माह में ही केन्द्र सरकार को इस संभावना से अवगत कराया गया था कि प्रस्तावित योजना में प्रीमियम की दरें अधिक आएंगी । इसके फलस्वरुप राज्य सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा, परन्तु उस पर उचित विचार नहीं किया गया । फलस्वरुप राज्य में इस योजना को लागू करने में अत्यधिक व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हुई है ।

16. राज्य सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए कृतसंकल्पित है, परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई बीमा कंपनियों द्वारा दी जा रही प्रीमियम की दरें तार्किक होनी चाहिए तथा प्रीमियम के केन्द्रांश के हिस्से की राशि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने स्थान पर जाईये । आप ही लोगों का गैर सरकारी संकल्प है । पहला संकल्प नितिन नवीन जी का है । इसलिए आपलोगों से अनुरोध है कि आप अपनी जगह पर जाईये । आप ही का काम सदन में होने वाला है, उसको होने दीजिये । आपको जो कहना है, स्थान पर जाकर एक एक करके बोलिये । आप अपने स्थान पर जाईये और सरकार की बात सुनिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सदन की बैठक 3 बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-5/04.08.16/विजय ।

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दलः महोदय..........(व्यवधान) हमने आग्रह किया था महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे गृह विभाग है, हमने मांग किया था कि सरकार घोषणा करे, जिस तरह से बाहर बच्चों की पिटाई की गयी है जबतक सरकार घोषणा नहीं करती महोदय ....

(व्यवधान)

अध्यक्षः गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदन की कार्यवाही चलने दीजिये । सभी माननीय सदस्यों का गैर-सरकारी संकल्प है, अगर आप सदन की कार्यवाही चलने देंगे तो बहुत सारे विषय हैं, आपके दल के भी माननीय सदस्य का है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता, विरोधी दलः बच्चों की पिटाई की गयी है इतनी बड़ी घटना हुई है और यह विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से हमेशा नियमन दिया जा रहा है और नेता, प्रतिपक्ष उन सवालों को नहीं सुनते हैं । न कार्य संचालन नियमावली का ध्यान रखते हैं । सरकार तो हमेशा चाहती है, जिन सवालों को उठाना चाहते हैं उठायें, सरकार उसका जवाब देगी । नियम से लायेंगे सवाल तब न जवाब कोई देगा । सरकार माननीय सदस्यों के सवालों का जवाब देने के लिए बैठी है और आप नियम का पालन नहीं कर रहे हैं । कार्य संचालन नियमावली का आप पालन नहीं कर रहे हैं और जब सदन शुरू होता है, आप सवाल उठाकर शोर करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष का समापन भाषण

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, षोडश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 29 जुलाई, 2016 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 04 अगस्त, 2016 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल 05(पांच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 29 जुलाई, 2016 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित तथा सत्रोपरान्त महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 07 (सात) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । सत्र के दौरान कुल-08 (आठ) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गए)

दिनांक 3 अगस्त, 2016 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपलब्धि प्रतिवेदन की एक एक-एक प्रति, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की मॉंग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद मॉंग स्वीकृत हुई तथा शेष मॉंग गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 04 अगस्त, 2016 को प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के तहत् बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

(व्यवधान)

राजकीय विधेयकों में यथा-(1) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशाोधन) विधेयक, 2016, (2) बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, 2016, (3) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2016, (4) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक, 2016, (5) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016, (6) बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गये हैं) (संशोधन) विधेयक, 2016, (7) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016, (8) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016, (9) बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2016, (10) बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016, (11) बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, (12) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2016 एवं

(13) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2016 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । इस छोटे सत्र में 13 (तेरह) विधेयक सदन द्वारा इस छोटे सत्र में पारित हुए ।

सत्र के दौरान कुल-755 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 584 प्रश्न स्वीकृत हुए। स्वीकृत प्रश्नों में 05 अल्पसूचित, 467 तारांकित एवं 112 प्रश्न अतारांकित थे । सदन में उत्तरित प्रश्नों की संख्या-59, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तर-94, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-03, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-10 एवं 418 प्रश्न अनागत हुए ।

इस सत्र में कुल-133 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 110 स्वीकृत हुए एवं 23 अस्वीकृत हुए । कुल-46 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 37 स्वीकृत एवं 09 अस्वीकृत हुई।

(व्यवधान जारी)

इस सत्र में कुल-134 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं तथा 121 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजी गयीं एवं 05 अमान्य हुईं।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान कुल-88 गैर-सरकारी संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

बिहार विधान सभा के सभी क्षेत्रों का सभा सचिवालय द्वारा अलग-अलग पार्श्व (प्रोफाइल) तैयार किया जा रहा है, जिसके संबंध में माननीय सदस्यों से उनके क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट जानकारियॉं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों से वांछित सूचनाएँ प्राप्त भी हुई हैं । उन्हें धन्यवाद देते हुए शेष माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि शीघ्र अपने क्षेत्रों से संबधित सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे क्षेत्रवार प्रोफाइल तैयार करने की आगे की कार्रवाई हो सके ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं बिहार विधान सभा द्वारा सभी क्षेत्रों का प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है, जिसके संबंध में सूचनाएँ मांगी गयी हैं । आप उसे अविलंब उपलब्ध करा दीजियेगा ।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन एवं आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण किया गया जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और नेता विरोधी दल, आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हमलोग आपके आभारी हैं एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं ।

पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूं ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आप सभी को शुभकामनाओं के साथ अब सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।